



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1903/2026

विश्वजीत सिंह

.....आवेदक(ओं)

बनाम

प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य..... विरोधी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : तन्मय कृष्ण श्रीवास्तव, प्रांजल कृष्ण,
प्रीयेश शुक्ला, सौरभ शुक्ला, सुरुचि
त्रिपाठी, उज्ज्वल मौर्य

विरोधी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त-आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 212/2025 अंतर्गत धारा 3(5), 61(2), 112, 317(2), 318(4), 319(2), 338, 336(3) और 340(2) भारतीय न्याय संहिता तथा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम की धारा 66सी और 66डी, थाना साइबर क्राइम, जिला लखनऊ में जमानत की मांग की है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अभियोजन पक्ष के मामले में आरोप है कि अभियुक्त ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर अपात्र व्यक्तियों के लिए फर्जी आयुष्मान कार्ड तैयार किए।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सह-आरोपी सुजीत कन्नौजिया, जिस पर फर्जी आयुष्मान कार्डों को मंजूरी देने का आरोप है, को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1010/2026 के मामले में पारित आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। एक अन्य सह-आरोपी सौरभ मौर्य को भी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1043/2026 में पारित आदेश के तहत जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

एक अन्य सह-आरोपी चंद्र भान वर्मा को भी जमानत आवेदन संख्या 1721/2026 में पारित आदेश के तहत जमानत दी गई है। आवेदक उपरोक्त सह-आरोपियों के समान होने का दावा करता है।

यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक से कोई फर्जी आयुष्मान कार्ड बरामद नहीं हुआ है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक के भाग जाने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। वह जांच में सहयोग करने का वचन देता है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक से लैपटॉप, मोबाइल फोन और चार्जर बरामद किए गए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हैं; हालांकि, वे इस बात से इनकार नहीं कर सके कि आवेदक से कोई आयुष्मान कार्ड बरामद नहीं हुआ है।

मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और साथ ही पत्रावली का भी अध्ययन किया है।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपराध दंडाधिकारी द्वारा विचारणीय है; आवेदक 25.12.2025 से न्यायिक हिरासत में है; उपर्युक्त नाम वाले सह-आरोपियों को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है; और आवेदक ने जांच में सहयोग करने का वचन दिया है, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए इसे उपयुक्त मामला पाता हूँ।

तदनुसार, समानता के आधार पर भी जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त प्राथमिकी/मुकदमा अपराध संख्या में आरोपित आवेदक विश्वजीत सिंह को उपरोक्त मामले में संबंधित दंडाधिकारी/न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदक विचारणीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, विचारणीय न्यायालय/संबंधित न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य शर्तें भी लगाई जा सकती हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान जमानत याचिका तक ही सीमित हैं और मुकदमे की गुण-दोष पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

23 मार्च, 2026

केकेवी/

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।